

Motion for Election of two Members to the Central Advisory Board on Disability

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

?कि इस सभा के सदस्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, उनके सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि इस सभा के सदस्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, उनके सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)